न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 180/2018

गोकुलचन्द मीणा पुत्र रामेश्वरलाल जाति मीणा निवासी नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादी

बनाम

1. चुनीलाल पुत्र कालू जाति जाट निवासी नवलडी तहसील नवलगढ
2. सुलोचनादेवी पत्नी महादेव
3. गोरीशंकर
4. धनेशकुमार
5. कमलेश पुत्रान महादेव
6. सुमन
7. मंजू पुत्री महादेव जाति जाट निवासीगण ग्राम नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
8. महबूब पुत्र मोरदीन जाति नाई मुसलमान निवासी नवलडी
9. शमीम बानो पत्नी अब्दुल हकीम जाति नाई मुस्लिम निवासी नवलडी
10. बाबू अली पुत्र युसूफ खां जाति कायमखानी निवासी नवलडी
11. भूमि धारक लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता:—
वादी:— श्री महेश कुमार नारनोलिया ऐडवोकेट
प्रतिवादीगण— श्रीमती स्नेहलता ऐडवोकेट

वाद बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय

निर्णय दिनांक 29.01.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम नवलडी की सरहद में भूमि ख. न. 1293 रकबा 1.43 है0 स्थित है जिसे आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त भूमि मे से रणजीत पुत्र कालू जाति जाट निवासी नवलडी तहसील नवलगढ ने दिनांक 17.11.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजियक कार्यालय नवलगढ ने वादी गोकुलचन्द मीणा पुत्र रामेश्वरलाल मीणा निवासी नवलडी तहसील नवलगढ के पक्ष में ग्राम नवलडी के भूमि ख.न. 1293/1.42 में रणजीत पुत्र कालू ने अपना 1/5 सम्पूर्ण हिस्सा तस्दीक करवा दिया तब से वादी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। वादी को उक्त विक्रय पत्र का ज्ञान नही होने की वजह से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही करवाया जा सका। इसके पश्चात दिनांक 26.04.2002 को प्रतिवादी नं. 1 चुनीलाल ने उक्त भूमि में ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 में अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा बाबूअली पुत्र युसुफ खां जाति कायमखानी निवासी नवलडी को विक्रय कर दिया जिसका नामा0 सं0 480 पर दर्ज है प्रतिवादी नं. 1 चुनीलाल ने अपना 1/5 सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर देने के पश्चात खातेदारी केता बाबू अली पुत्र युसुफ खां के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। लेकिन प्रतिवादी नं. 1 द्वारा विक्रय कर देने के पश्चात भी उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी नं. 1 का नाम गलत रूप से दर्ज होता आ रहा है। दिनांक 26.04.2002 को प्रतिवादी नं. 1 द्वारा चुनीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड से हटना चाहिये था लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवन से रणजीत पुत्र कालू जाति जाट निवासी नवलडी का नाम राजस्व रिकार्ड से हट गया तथा रणजीत पुत्र कालू द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 17.11.2000 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया। उसका नामा0 भी वादी के पक्ष में तस्दीक नही किया गया। उक्त राजस्व रिकार्ड से वादी को सख्त हक तलफी पैदा हो रही है हालांकि उक्त गलत राजस्व रिकार्ड से वादी के कब्जे काश्त में फर्क नही पडता परन्तु गलत रिकार्ड दर्ज रहने से भविष्य में वादी को क्षति हो सकती है। प्रतिवादी नं. 1 उक्त गलत राजस्व रिकार्ड का दुरूपयोग कर भूमि का हस्तानान्तरण कर सकते हैं जबकि उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी नं. 1 को विक्रय पत्र के आधार पर कोई हक अधिकार नही है। इसलिये वादी का अपने हक अधिकार के लिये दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्त का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी को किसान केडिट कार्ड बनाने के लिये पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर पता चला कि वादी द्वारा दिनांक 17.11.2000 को

रणजीत पुत्र कालू जाति जाट निवासी नवलडी से उसका विवादग्रस्त भूमि ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 में 1/5 हिस्सा क्रय किया उसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही होने के कारण बैंक से लोन देने से मना कर दिया इसलिये वाद अपने कानूनी सलाहाकार की राय के बाद उक्त वाद खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वाके ग्राम नवलडी भूमि ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 में से 1/5 हिस्सा के मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2000 के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 में 1/5 हिस्से में से प्रतिवादी नं. 1 चुनीलाल का नाम हटाया जाकर मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर एवं कब्जे व काश्त के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार नवलगढ को लिखा जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 1, 3, 10 व 11 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 2, 4 लगायत 9 की और से ऐडवोकेट श्रीमती स्नेहलता का वकालतानामा व इनकी और से इकबालिया जबाबदावा प्रस्तुत हुआ जिसमें वाद वादी स्वीकार किये जाने में कोई एतराज नही होना अंकित किया गया। अतः शहादत वादी ली जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम नवलडी संवत 2049 से 2052 के अनुसार भूमि ख.न. 682/2.48, 683/0.61, 684/0.02, 685/0.81, 1293/1.42, 1288/0.14 किता 6 कुल रकबा 5.48 है0 की खातेदारी भागीरथ चुनीलाल महादेव गोरधन रणजीत पि0 कालू हि0 ब0 जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2053 से 2056 के अनुसार भूमि ख.न. 682/2.48, 683/0.61, 684/0.02, 685/0.81, 1293/1.42, 1288/0.14 किता 6 कुल रकबा 5.48 है0 की खातेदारी भागीरथ चुन्नीलाल महादेव गोरधन रणजीत पि0 कालू ब0हि0ब0 जाति जाट सा.देह खातेदार जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 407दिनांक 02.10.2000 के द्वारा ख.न. 682/2.48, 683/0.61, 684/0.02, 685/0.81 किता 4 कुल रकबा 3.92 है0 में महादेव ने अपना 1/5 हिस्सा भागीरथ चुन्नीलाल गोरधन पि0 कालू के नाम दर्ज बाकी बदस्तूर। नामा0सं0 409 नि.दि. 18.10.2000 ख. 682, 683, 684, 685 किता 4 कुल रकबा 3.92 है0 मे से रणजीत ने अपने 1/5 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा विक्रय करने पर भागीरथ गोरधन पुत्र कालूराम हि0 2/3 हि0 विक्रय करने पर भागीरथ गोरधन पुत्र कालूराम हि0 2/3 रणजीत पुत्र कालूराम हि0 1/3 दर हिस्सा 1/5 बाकी बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम नवलडी संवत 2061 से 2064 के अनुसार चुनीलाल महादेव पि0 कालू ब.हि.ब. 2/5 जाति जाट महबूब पुत्र मोरदीन हि0 1/5 शमीम बानो पत्नी अब्दूल हकीम हि0 1/5 जाति नाई मुसलमान बाकअली पुत्र युसुफ खां क्यामखानी मुसलमान हि0 1/5 सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम नवलडी संवत 2069 से 2072 के अनुसार भूमि ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 की खातेदारी चुनीलाल महादेव प0कालू ब.हि.ब. हि0 2/5 जाति जाट महबूब पुत्र मोरदीन हि0 1/5 शमीम बानो पत्नी अब्दूल हकीम हि0 1/5 जात नाई मुसलमान बाबूअली पुत्र युसुफखां क्यामखानी मुसलमान हि0 1/5 सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में प्रस्तुत नकल विक्रय पत्र का भी अवलोकन किया गया। नकल विक्रय पत्र के अनुसार दिनांक 17.11.2000 को रणजीत पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी नवलडी द्वारा गोकुलचन्द मीणा पुत्र रामेश्वर लाल मीणा जाति मीणा निवासी नवलडी को भूमि ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 में से 1/5 हिस्सा सम्पूर्ण उप पंजियक कार्यालय नवलगढ के यहां रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत नकल विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2002 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार चुन्नीलाल पुत्र कालू जाति जाट निवासी नवलडी द्वारा बाबूअली पुत्र युसुब खां जाति क्यामखानी निवासी नवलडी को भूमि ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 में से अपना 1/5 सम्पूर्ण हिस्सा का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजियक नवलगढ के यहां तस्दीक करवाया गया है जिसका नामा0सं0 480 दिनांक 20.06.2002 को तस्दीक हुआ है जिसमे चुन्नीलाल का 1/5 हिस्सा सम्पूर्ण क्रेता बाबूअली को बेचान करने का स्पष्ट उल्लेखित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 में चुनीलाल का 1/5 हिस्सा है जिसे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2002 को प्रतिवादी नं. 10 बाबूअली को विक्रय किया गया है परन्तु राजस्व रिकार्ड में बाबूअली पुत्र युसुफखां क्यामखानी का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो चुका फिर भी चुन्नीलाल पुत्र कालू हिस्सा 1/5 हिस्सा दर्ज हाल जमाबंदी है। इसप्रकार रणजीत पुत्र कालू द्वारा अपने हिस्से की भूमि के क्रेता गोकुलचन्द मीणा पुत्र रामेश्वरलाल जाति मीण का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से वंचित रहना स्पष्ट है। प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 9 द्वारा इकबालिया जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद वादी

स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 9 उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार हैं। अतः इस स्थिति में प्रतिवादी नं. 1 चुनीलाल पिता कालू हिस्सा 1/5 के स्थान पर वादी गोकुलचन्द पुत्र रामेश्वरलाल जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम नवलडी की भूमि ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 में चुनीलाल पुत्र कालू जाति जाट हिस्सा 1/5 के स्थान पर गोकुलचन्द पुत्र रामेश्वरलाल जाति मीणा निवासी नवलडी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

हवाई सिंह यादव (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 180/2018 (गोकुलचन्द बनाम चुनीलाल आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.01.2019 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम नवलडी की भूमि ख.न. 1293 रकबा 1.42 है0 में चुनीलाल पुत्र कालू जाति जाट हिस्सा 1/5 के स्थान पर गोकुलचन्द पुत्र रामेश्वरलाल जाति मीणा निवासी नवलडी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

जिन..........–.................... मुबलिग............–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक. .....–.............का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखंत व मुहर अदालत से आज तारीख. 29 माह 01 सन..2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00